

**केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण:
वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24**

किसी कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाले मुख्य परिवर्तनशील कारक सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती हैं। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति को भी दर्शाते हैं।

सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों का उसके राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का विस्तृत विश्लेषण तथा सुव्यक्त निरूपण और सरकार की विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यक कार्यक्रम आयोजना अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत सृजित हो रहे राजस्व प्रभावों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार की आय को प्रभावित करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर नीति में उल्लिखित व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण सरकार द्वारा कराधान प्रणाली के तहत उपलब्ध विभिन्न कर प्रोत्साहनों की राजस्व विवक्षाओं का एक विस्तृत विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक "परित्यक्त राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है, क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुबंध-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में यह अनुबंध-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में, यह अनुबंध -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पूर्व में उल्लेख किए गए अनुसार, इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताओं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए दर्ज किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्त वर्ष 2022-23 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है: -

- (क) प्राक्कलनों और अनुमानों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समय आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षाएं उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।

- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का यह मानते हुए अलग से निर्धारण किया जाता है कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं। हालाँकि, कई कर रियायतें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव, प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों को जोड़कर परिकल्पित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ लक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर चल रही हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाएं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने का प्रावधान करती है। त्वरित मूल्यहास की व्यवस्था की पूंजी निवेश को प्रोत्साहन के रूप में भी प्रदान की जाती है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विवरण में कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर-कॉरपोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों की निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कार्पोरेट और गैर- कार्पोरेट आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उन्हीं के प्रति विशिष्ट हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगे संस्थानों का विवरण भी "धर्मार्थ संस्थान" शीर्षक के तहत अलग से दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान चार वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24)¹ के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेने के बाद लगाया गया है।

क. कॉरपोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2022-23 [अर्थात् आकलन वर्ष 2023-24] के लिए 30 नवम्बर, 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10,75,866 कॉरपोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 की अपनी आय के लिए 7,27,415.89 करोड़ रु. [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉरपोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने अधिनियम की धारा 115ठक के तहत शेयरों के बॉय-बैक के संबंध में 'वितरित आय' पर 6,440.99 करोड़ रु. [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] के अतिरिक्त कर का भुगतान किया है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इसे विवरण की तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में दर्शाया गया है। **तालिका 1** इन कंपनियों को विभिन्न लाभ श्रेणियों में दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

- 5,34,092 कंपनियों (49.64 प्रतिशत) ने 32,10,198.19 करोड़ रु. कर -पूर्व लाभ और कुल आय (कर योग्य आय) के रूप में 31,66,634.86 करोड़ रु. की सूचना दी है।

¹ वित्त वर्ष 2020-21 को औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आकलन करने के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण एक असाधारण वर्ष था।

- 4,93,714 कंपनियों (45.89 प्रतिशत) ने 8,73,307.67 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 48,060 कंपनियों (4.47 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए **लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूर्ण आधार की प्रभावी कर दर² 23.24 प्रतिशत** थी [जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट की गई दर **23.26 प्रतिशत** थी], वहीं एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत(उप कर सहित), 10 करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) और 10 करोड़ रु. से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115खकक के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, उनकी वैधानिक कर की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ, (इसके बाद पीबीटी), वाली कंपनियों का कुल पीबीटी में हिस्सा 62.59 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 53.24 प्रतिशत था।

500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 19.77 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रु. से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या इन्होंने उपकर और अधिभार सहित 22 प्रतिशत की न्यूनतर कर दर वाली नई व्यवस्था का चयन किया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रु. की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 96.66 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 72.45 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की सभी श्रेणियों में कंपनियों की प्रोफाइल
(वित्त वर्ष 2022-23) (कंपनियों की संख्या – 10,75,866)

| क्र.सं . | कर पूर्व लाभ | कंपनियों की संख्या | कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में) | कुल आय में हिस्सा (% में) | कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (% में) | कर पूर्व कुल लाभ और आय का अनुपात (% में) | कुल आय की तुलना में कर का अनुपात (% में) | प्रभावी कर दर (कर लाभ अनुपात) |
|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| 1 | शून्य से कम | 4,93,714 | - | 0.69%* | 0.67%* | - | - | - |
| 2 | शून्य | 48,060 | - | 20.89%* | 9.69%* | - | - | - |
| 3 | 0-1 करोड़ रु. | 4,52,076 | 1.87% | 1.82% | 1.98% | 96.66% | 25.36% | 24.52% |
| 4 | 1-10 करोड़ रु. | 63,113 | 6.15% | 5.91% | 6.35% | 95.38% | 25.13% | 23.97% |
| 5 | 10-50 करोड़ रु. | 13,405 | 8.99% | 7.90% | 8.82% | 87.33% | 26.10% | 22.79% |
| 6 | 50-100 करोड़ रु. | 2418 | 5.22% | 4.49% | 5.04% | 85.43% | 26.30% | 22.47% |
| 7 | 100-500 करोड़ रु. | 2337 | 15.18% | 12.65% | 14.21% | 82.75% | 26.29% | 21.75% |
| 8 | 500 करोड़ रु. से अधिक | 743 | 62.59% | 45.65% | 53.24% | 72.45% | 27.29% | 19.77% |
| सभी कंपनियां | | 10,75,866 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.33% | 23.40% | 23.24% |

*शून्य से कम अथवा उसके बराबर पीबीटी वाली कंपनियां आय को व्यवसाय से इतर शीर्ष के अंतर्गत सूचित कर सकती हैं जिन पर कुछ कर देय हो सकते हैं।

²कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) और करों से पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

तालिका 2 में प्रभावी कर दरों में कंपनियों का प्रतिदर्श दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 6,62,877 कंपनियों का, कर-पूर्व कुल लाभ का 39.68 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 11.94 प्रतिशत और कुल करों का 13.52 प्रतिशत हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (6,62,877 अर्थात् 61.61 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन 52356 कंपनियों ने कुल लाभ का 6.58 प्रतिशत और कुल करों का 10.40 प्रतिशत हिस्सा दिया, उनकी प्रभावी कर दर 34.69 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से कानून में प्रदत्त विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है, जिन्हें इन कंपनियों ने प्राप्त किया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 20-30% के प्रभावी कर दर के दायरे में आने वाली 2,89,076 कंपनियां कर पूर्व लाभ में 50% (60.48%) से अधिक की हिस्सेदारी रखती हैं और कर देयता में जिनकी 71.71% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। ईटीआर के दायरे में आने वाली कंपनियां कुल कंपनियों के 26.87% को दर्शाती है। यह इन कंपनियों द्वारा कुल कर में हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 की तुलना में 4.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह परिणाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक और 115खकख में निहित व्यवस्था के माध्यम से शुरू किए गए कॉरपोरेट कर दर के युक्तिसंगत बनाए जाने के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है।

तालिका 2: प्रभावी कर दरों की सभी श्रेणियों में कंपनियों का प्रोफाइल*

| क्र. सं. | प्रभावी कर दर (% में) | कंपनियों की सं. | कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में) | कुल आय में हिस्सा (% में) | कुल कर देयता में हिस्सा (% में) |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | शून्य और शून्य से कम | 5,44,777.00 | 10.70% | 0.88%** | 0.75%** |
| 2 | 0-20 | 1,18,100.00 | 21.09% | 11.06% | 12.77% |
| 3 | 20-25 | 61,751.00 | 31.42% | 35.11% | 34.78% |
| 4 | 25-30 | 2,27,325.00 | 29.06% | 38.19% | 36.93% |
| 5 | 30-33 | 23,497.00 | 2.94% | 4.24% | 4.37% |
| 6 | >33 | 52,356.00 | 4.79% | 10.51% | 10.40% |
| 7 | अनिर्धारित(पीबीटी = 0) | 48,060.00 | | | |
| कुल | | 10,75,866.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

**शून्य से कम अथवा उसके बराबर ईटीआर वाली कंपनियां आय को व्यवसाय से इतर शीर्षों के अंतर्गत सूचित कर सकती है अतः कॉरपोरेट के लिए कुल आय और देयता में उनका छोटा हिस्सा है लेकिन अग्रेनीत हानियों के संबंध में ईटीआर को शून्य से कम अथवा उसके बराबर सूचित कर सकती है।

तालिका 3 में निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना की गई है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*

(वित्त वर्ष 2022-23) [कंपनियों की संख्या – 10,75,866]

| नि.व. | क्षेत्र | कंपनियों की सं. | कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में) | कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में) | प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात] |
|---------------------|-------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2023-24 | सार्वजनिक # | 199 | 16.31 | 11.63 | 17.56 |
| | निजी | 10,75,667 | 83.69 | 88.37 | 24.34 |
| सभी कंपनियां | | 10,75,866 | 100.00 | 100.00 | 23.24 |

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

निर्धारित कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा उनके संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

तालिका 4 में कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की 22.64 प्रतिशत की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 23.51 प्रतिशत की उच्चतर प्रभावी कर दर है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.69 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्त वर्ष 2022-23) [कंपनियों की संख्या-10,75,866]

| क्र. सं. | क्षेत्र | कंपनियों की सं. | कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में) | कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में) | प्रभावी कर दर [कर से लाभ अनुपात] |
|----------|---------------------|------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | विनिर्माण | 1,56,460 | 31.11 | 30.30 | 22.64 |
| 2 | गैर-विनिर्माण | 9,19,406 | 68.89 | 69.70 | 23.51 |
| | सभी कंपनियां | 10,75,866 | 100.00 | 100.00 | 23.24 |

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 5 में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर व्यय और वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं के संबंध में प्रमुख कर व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2024 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रत्येक कटौती की राशि पर भारित औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.69 प्रतिशत³ लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास, कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.69 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब किया जाता है जब करदाता, कर कानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती की अनुमति (जैसे मूल्यहास में अनुमति) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यहास का दावा कई वर्षों में अपने ही खातों में फैला सकता है। चूंकि मूल्यहास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, अंकित लाभ पर 15 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अध्यधीन) पर लगता है, और यह तब लगता है जब यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक हो। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के उस वर्ष में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यहास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों, जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों, के राजस्व प्रभाव में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर व्यय को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। वर्ष 2020-21 कोविड से प्रभावित वर्ष होने के कारण विचार नहीं किया गया है। औसत जीडीपी वृद्धि दर की गणना 12.36% की गई थी।

तालिका 5 में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर व्यय और वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाया गया है।

³ एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की भारित औसत कर दर लेने के बाद औसत वैधानिक कर दर निकाली गई है।

तालिका 5: कॉरपोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24)
[कंपनियों की संख्या – 10,75,866] (करोड़ रु. में)

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव [2022-23] | प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव [2023-24] @12.36% |
|----------|--|-------------------------|---|
| 1 | विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक) | 23,736.27 | 26,670.08 |
| 2 | त्वरित मूल्यहास (धारा 32) | 18,742.69 | 21,059.29 |
| 3 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1),(2कक) और (2कख)) | 3,229.36 | 3,628.51 |
| 4 | निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ) | 596.18 | 669.87 |
| 5 | धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 1,172.93 | 1,317.90 |
| 6 | राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख) | 514.40 | 577.98 |
| 7 | बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक) | 4,896.46 | 5,501.66 |
| 8 | बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक) | 15,968.93 | 17,942.69 |
| 9 | बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक) | 37.68 | 42.33 |
| 10 | एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती | 422.65 | 474.89 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख) | 276.26 | 310.41 |
| 12 | खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख) | 252.40 | 283.60 |
| 13 | आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख) | 10.90 | 12.25 |
| 14 | खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख) | 10.31 | 11.59 |
| 15 | फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख) | 91.62 | 102.94 |
| 16 | आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक) | 786.11 | 883.27 |
| 17 | पूर्वतर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड) | 1,944.11 | 2,184.40 |
| 18 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड) | 3,942.48 | 4,429.77 |
| 19 | जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80त्रकक) | 13.19 | 14.82 |
| 20 | नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 त्रकक) | 3,448.27 | 3,874.48 |
| 21 | अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक) | 0.01 | 0.01 |
| 22 | अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के कुछ आय को संबंध में कटौती 80-ठक (1क) | 527.45 | 592.64 |

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव [2022-23] | प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव [2023-24] @12.36% |
|----------|---|-------------------------|---|
| 23 | कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती (80छछग) | 21.07 | 23.67 |
| 24 | निर्माता कंपनियों की कुछ आय के संबंध में कटौती (80तक) | 33.51 | 37.65 |
| | कुल | 80,675.25 | 90,646.71 |
| | एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर देयता | -7,434.02 | -8,352.86 |
| | एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता के रूप में गणना किए गए ₹18,594.55 करोड़ | | |
| | (-) दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया 26028.56 करोड़ रुपए | | |
| | कुल परित्यक्त राजस्व | 88,109.27 | 98,999.57 |

*कोविड प्रभावित वर्ष होने के कारण वर्ष 2020-21 पर विचार नहीं किया गया।

विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेड में स्थित इकाईयों द्वारा हासिल कटौती (क्रम सं.1), त्वरित मूल्यहास (क्र.सं.2), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में संलग्न उपक्रमों के लाभ की कटौती (सं.8), अवसंरचना सुविधाओं के विकास में संलग्न उपक्रम (क्रम.सं.7), सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (क्र.सं.18), नए कारीगरों को रोजगार के संबंध में कटौती (सं.20), वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौती (क्र.सं.3) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (सं.17), कुल कर प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के दानों के कारण कटौती वित्त वर्ष 2021-22 (1132.90 करोड़ रुपए) के दान की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 (1172.93 करोड़ रुपए) मामूली रूप से बढ़ गई।

कंपनियों के प्रभावी कर-दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट की तालिका में दिया गया है। चाय उगाने और विनिर्माण (16.80), इस्पात उत्पादों का विनिर्माण (16.59) और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण (18.30) के लिए प्रभावी कर-दर कम दर समूह में हैं। प्रभावी कर दरों की तुलना में कम कर-दरों का लाभ लेने वाले कुछ अन्य क्षेत्र हैं पशुपालन (15.61) और रीयल एस्टेट (लगभग 18)। प्रभावी कर दर कर-पूर्व लाभ के लिए देय सकल कर के योग का अनुपात है।

इसके अलावा, कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकख को कराराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया था। इसमें ऐसी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और ऐसी नव-निगमित घरेलू कंपनियों के लिए 15% की रियायती कर दर की व्यवस्था की गई है, जो इस तरह की विनिर्मित मद या वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण 31 मार्च, 2024 से या इससे पहले शुरू करती हैं। यह रियायत कतिपय शर्तों के अधीन है जिनमें ये कंपनियां किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं उठाती हो। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती कराराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वे किसी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करें।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव के विश्लेषण (तालिका 5.1 में किया गया) से यह स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट विवरणी में से अधिनियम की धारा 115खकक के तहत करारोपित कुल आय 18,35,988.38 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में समान धारा के तहत करारोपित आय (15,48,040.43 करोड़ रुपए) से 18.60% अधिक है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन करारोपित कुल आय 6,256.74 करोड़ है, जो वित्त

वर्ष 2021-22 में धारा 115खकख के तहत करारोपित आय (2360.40 करोड़) से 165% अधिक है। बड़ी संख्या में कंपनियां नई कर व्यवस्था को अपना रही हैं इससे भी वृद्धि स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार, कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था अपनाने की प्रवृत्ति जारी है, जो उत्साहजनक है।

**तालिका 5.1 : रियायती कर व्यवस्था के तहत आय और पुरानी कर व्यवस्था के तहत आय की तुलना
(वित्त वर्ष 2022-23)**

| क्र. सं. | कुल आय का स्लैब (करोड़ रुपए में) | कुल आय करोड़ में (115खकख के तहत) | | कुल आय करोड़ में (115खकख के तहत) | | कुल आय करोड़ में (30% जमा अधिभार और उपकर की पूर्व कर दर के तहत) | |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---|---------------------|
| | | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| 1 | 0-1 | 19,037.51 | 15,227.55 | 435.77 | 235.08 | 34,338.99 | 33,123.58 |
| 2 | 1-10 | 1,00,017.70 | 81,588.75 | 1,880.23 | 843.57 | 83,467.35 | 82,328.45 |
| 3 | 10-50 | 1,82,096.08 | 1,45,239.29 | 1,834.07 | 1,066.09 | 1,11,789.17 | 1,13,796.76 |
| 4 | 50-100 | 1,10,879.35 | 94,167.00 | 614.57 | 215.91 | 69,653.86 | 65,764.04 |
| 5 | 100-500 | 3,31,780.69 | 2,95,164.99 | 991.93 | 0.00 | 2,17,635.20 | 2,15,906.21 |
| 6 | >500 | 10,92,177.05 | 9,16,652.84 | 500.18 | 0.00 | 7,96,544.26 | 6,90,333.22 |
| | कुल | 18,35,988.38 | 15,48,040.43 | 6,256.74 | 2,360.64 | 13,13,428.82 | 12,01,252.25 |

ख. गैर-कारपोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बड़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2022-2023 की आय के लिए 30 नवम्बर, 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 18,21,249 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 18,21,249 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: -

- सभी फर्मों/एओपी/बीओआई ने 3,92,120.64 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 5,18,972.72 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 3,60,745 विवरणियों से नुकसान दर्ज किया गया, जो कुल का 19.81 प्रतिशत है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 1,30,916.68 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 34.09 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से और प्रत्येक कर दर स्लैब में आने वाले देय सकल कर के साथ एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.09 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24] के लिए

औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 12.36% की गई थी।

तालिका 6 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर व्यय और वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमान के अनुसार गैर-कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2021-22 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण है, जो पिछले वित्त वर्ष के 53.89 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 53.25 प्रतिशत है। एसईजेड में स्थापित इकाइयों (धारा 10कक के तहत), आवासन परियोजनाओं (धारा 80-झखक के तहत) और त्वरित मूल्यहास (धारा 32 के तहत) के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 17.48 प्रतिशत, 11.46 प्रतिशत और 5.71 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गैर-कारपोरेट क्षेत्र, अर्थात् फर्म/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 10,920.83 करोड़ रुपए होगा।

तालिका 6: गैर-कारपोरेट करदाताओं [फर्म/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 (करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव [2022-23] | प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव [2023-24] (@12.36%) |
|----------|---|----------------------------|---|
| 1 | एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक) | 1909.51 | 2145.52 |
| 2 | त्वरित मूल्यहास (धारा 32) | 623.51 | 700.58 |
| 3 | वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख) | 4.87 | 5.47 |
| 4 | निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ) | 45.53 | 51.16 |
| 5 | धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 170.19 | 191.22 |
| 6 | राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग) | 115.71 | 130.01 |
| 7 | बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक) | 141.00 | 158.43 |
| 8 | विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक) | 298.59 | 335.50 |
| 9 | एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80-झकख) | 99.33 | 111.61 |
| 10 | विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में विशेष प्रावधान (धारा 80झकग) | 50.21 | 56.42 |
| 11 | आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80-झख) | 59.80 | 67.19 |
| 12 | खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख) | 4.69 | 5.27 |
| 13 | फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख) | 58.25 | 65.45 |
| 14 | आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक) | 1251.98 | 1406.72 |

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव [2022-23] | प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव [2023-24] (@12.36%) |
|--|---|----------------------------|---|
| 15 | पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झड़) | 165.16 | 185.57 |
| 16 | सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झड़) | 31.06 | 34.90 |
| 17 | उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग) | 0.44 | 0.49 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग) | 0.001 | 0.00 |
| 19 | जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जजक) | 12.42 | 13.96 |
| 20 | नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जजकक) | 48.61 | 54.62 |
| 21 | विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक) | 0.27 | 0.30 |
| 22 | सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त) | 5815.00 | 6533.74 |
| 23 | वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के लिए कटौती (धारा 80छछक) | 4.78 | 5.37 |
| 24 | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक(1क)) | 9.93 | 11.15 |
| कुल छोड़ा गया राजस्व (करोड़ रुपए में) | | 10,920.83 | 12,270.64 |

*कोविड प्रभावित होने के कारण 2020-21 की गणना नहीं की गई है।

ग. व्यक्तिगत/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती का प्रावधान करता है। व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात् कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यक्तिगत करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना 30 नवम्बर, 2024 तक आयकर विभाग में व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 7,74,07,645 विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर व्यय का अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 और 2023-24] के औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 12.36% आंकी गई थी।

वित्त वर्ष 2022-23 (नि.व. 2023-24) के लिए दायर कुल **7,74,07,645** आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

- (i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 27 और 28), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के

आंकड़ों के मुताबिक, 12.05 प्रतिशत विवरणियों को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.79 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल की गयी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए की गई है।

- (ii) व्यक्तियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय 1,02,557.01 करोड़ रुपए की राशि है।
- (iii) वित्त वर्ष 2021-22 में व्यक्तिगत करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय अधिनियम की धारा 87क के तहत छूट के कारण 41,237.43 करोड़ रुपए की राशि है।
- (iv) धारा 80गगघ के अधीन नई पेंशन योजना में अंशदान पर कटौती और धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा किश्त के लिए कटौती का भी समग्र आंकड़ों में क्रमशः 14,999.41 करोड़ रुपए और 12,719.50 करोड़ रुपए का योगदान था।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, तालिका 7 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान और वित्त वर्ष 2023-24 के अनुमानों के लिए, कर व्यय के अनुसार, व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

**तालिका 7 : व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24**

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव | अनुमानित |
|----------|---|-------------------------------|---|
| | | (करोड़ रुपए में) [2022-23] | राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) @12.36% [2023-24] |
| 1 | कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग) | 1,02,557.01 | 1,15,233.06 |
| 2 | कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग) | 445.64 | 500.73 |
| 3 | नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ) | 14,999.41 | 16,853.33 |
| 4 | स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ) | 12,719.50 | 14,291.63 |
| 5 | दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ) | 1,517.93 | 1,705.54 |
| 6 | विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघघ) | 2,300.76 | 2,585.13 |
| 7 | उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड) | 1,831.47 | 2,057.84 |
| 8 | रिहायशी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड) | 466.91 | 524.62 |
| 9 | कतिपय आवासीय संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80डडक) | 1,202.78 | 1,351.44 |
| 10 | इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के संबंध में कटौती (धारा 80डडख) | 417.45 | 469.05 |
| 11 | धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ) | 1,819.67 | 2,044.58 |

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव | अनुमानित |
|----------|--|-------------------------------|---|
| | | (करोड़ रुपए में) [2022-23] | राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) @12.36% [2023-24] |
| 12 | रिहायशी आवास के लिए भुगतान किए गए किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ) | 1,766.74 | 1,985.11 |
| 13 | वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक) | 19.85 | 22.30 |
| 14 | राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग) | 2,275.85 | 2,557.15 |
| 15 | एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली उत्पादन और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक) | 69.98 | 78.62 |
| 16 | एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख) | 0.55 | 0.61 |
| 17 | रिहायशी आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक) | 177.30 | 199.21 |
| 18 | रिहायशी आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय तथा जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख) | 16.30 | 18.32 |
| 19 | पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग) | 20.25 | 22.75 |
| 20 | जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जक) | 9.16 | 10.29 |
| 21 | नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80जकक) | 14.82 | 16.65 |
| 22 | पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख) | 9.43 | 10.60 |
| 22 | पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख) | 0.35 | 0.40 |
| 23 | बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक) | 2,705.02 | 3,039.36 |
| 24 | निवासी वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा धनराशि पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननख) | 4,148.86 | 4,661.66 |
| 25 | विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प) | 710.01 | 797.77 |
| 26 | धारा 87क के अंतर्गत छूट | 41,237.43 | 46,334.38 |

| क्र. सं. | प्रोत्साहन का प्रकार | राजस्व प्रभाव | अनुमानित |
|------------|--|-------------------------------|---|
| | | (करोड़ रुपए में) [2022-23] | राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) @12.36% [2023-24] |
| 27 | वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा | 2,424.57 | 2,724.24 |
| 28 | अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा | 793.95 | 892.08 |
| कुल | | 1,96,678.95 | 2,20,988.47 |

व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, रिहायशी आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है, जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यक्तियों के मामले में कर पर छूट, नई पेंशन योजना में अंशदान धारा 80गघ और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण हैं। लाभ-आधारित कटौतियों के संबंध में, अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झखक के कारण है।

घ. धर्मार्थ संस्थान

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्तपोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाले कतिपय क्रियाकलापों में शामिल संस्थानों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन संस्थानों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रियाकलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे संस्थानों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन संस्थानों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 30 नवम्बर, 2024 तक ऐसे संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 2,50,682 है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 10,01,572.04 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

**संपूर्ण उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित
(वित्त वर्ष 2022-23) (कंपनियों की संख्या – 10,75,866)**

| क्र.सं. | क्षेत्र | उप-क्षेत्र | कंपनियां | कुल देय कर | पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0 | प्रभावी कर की दर |
|---------|-------------------------|--|----------|------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | कृषि, पशुपालन और वानिकी | कृषि और पशुपालन सेवाएं | 8,861 | 209.49 | 1,241.27 | 16.88% |
| 2 | कृषि, पशुपालन और वानिकी | मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन | 745 | 278.00 | 1,128.54 | 24.63% |
| 3 | कृषि, पशुपालन और वानिकी | चाय का उत्पादन और विनिर्माण | 1,184 | 200.77 | 1,195.12 | 16.80% |
| 4 | कृषि, पशुपालन और वानिकी | अन्य | 15,506 | 690.20 | 4,422.63 | 15.61% |
| 5 | मत्स्य पालन | समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी, फिश हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं | 97 | 8.37 | 35.54 | 23.56% |
| 6 | मत्स्य पालन | अन्य | 734 | 50.91 | 717.84 | 7.09% |
| 7 | खनन और उत्खनन | कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण | 154 | 16,490.50 | 75,673.71 | 21.79% |
| 8 | खनन और उत्खनन | कठोर कोयले का खनन और ढेर | 123 | 15,063.71 | 77,359.05 | 19.47% |
| 9 | खनन और उत्खनन | यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन | 62 | 5,059.27 | 16,012.00 | 31.60% |
| 10 | खनन और उत्खनन | लौह अयस्क का खनन | 224 | 4,597.52 | 20,382.55 | 22.56% |
| 11 | खनन और उत्खनन | दलदल का निष्कर्षण और ढेर | 4,251 | 2,568.74 | 9,342.74 | 27.49% |
| 12 | विनिर्माण | परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण | 444 | 19,256.46 | 1,05,237.85 | 18.30% |
| 13 | विनिर्माण | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण | 7,499 | 21,779.13 | 98,961.47 | 22.01% |
| 14 | विनिर्माण | मोटर वाहनों का विनिर्माण | 639 | 16,561.44 | 62,225.19 | 26.62% |
| 15 | विनिर्माण | मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का विनिर्माण | 3,439 | 12,753.40 | 48,354.62 | 26.37% |
| 16 | विनिर्माण | इस्पात उत्पादों का विनिर्माण | 4,188 | 8,953.34 | 53,968.76 | 16.59% |
| 17 | विनिर्माण | अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 4,888 | 11,982.05 | 50,200.15 | 23.87% |
| 18 | विनिर्माण | तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 350 | 6,570.68 | 27,659.84 | 23.76% |

| क्र.सं. | क्षेत्र | उप-क्षेत्र | कंपनियां | कुल देय कर | पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0 | प्रभावी कर की दर |
|---------|---------------------------------|--|----------|------------|------------------------------------|---------------------|
| 19 | विनिर्माण | वस्त्रों का विनिर्माण (हथकरघा से किए जाने के अलावा) | 9,729 | 5,701.99 | 27,569.07 | 20.68% |
| 20 | विनिर्माण | विद्युत मशीनरी और उपस्कर का विनिर्माण | 2,883 | 1,664.52 | 6,848.38 | 24.31% |
| 21 | विनिर्माण | सीमेंट, चूना और प्लास्टर का विनिर्माण | 696 | 4,168.49 | 17,971.76 | 23.19% |
| 22 | विनिर्माण | अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 5,116 | 5,661.08 | 26,722.40 | 21.18% |
| 23 | विनिर्माण | रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपस्कर का विनिर्माण | 313 | 2,239.88 | 8,371.05 | 26.76% |
| 24 | विनिर्माण | साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण | 383 | 1,396.43 | 6,631.70 | 21.06% |
| 25 | विनिर्माण | उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का विनिर्माण | 1,211 | 4,146.43 | 17,829.68 | 23.26% |
| 26 | विनिर्माण | रबर उत्पादों का विनिर्माण | 1,213 | 2,275.02 | 9,312.49 | 24.43% |
| 27 | विनिर्माण | पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का विनिर्माण | 815 | 2,567.62 | 9,960.49 | 25.78% |
| 28 | विनिर्माण | प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 3,821 | 2,138.60 | 8,782.22 | 24.35% |
| 29 | विनिर्माण | कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 2,952 | 2,517.78 | 12,461.89 | 20.20% |
| 30 | विनिर्माण | इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण | 222 | 2,354.89 | 10,758.78 | 21.89% |
| 31 | विनिर्माण | अन्य | 1,05,659 | 91,356.01 | 3,88,718.00 | 23.50% |
| 32 | विद्युत, गैस और जल | बिजली का उत्पादन, संग्रहण और संवितरण | 5,872 | 17,124.45 | 1,37,397.91 | 12.46% |
| 33 | विद्युत, गैस और जल | गैस का विनिर्माण और संवितरण | 459 | 2,439.76 | 12,106.82 | 20.15% |
| 34 | निर्माण | सड़कों, रेल, पुल, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव | 5,995 | 12,268.96 | 69,706.57 | 17.60% |
| 35 | निर्माण | भवन का पूर्ण या आंशिक निर्माण, सिविल ठेकेदार | 19,262 | 4,484.77 | 19,332.09 | 23.20% |
| 36 | स्थावर सम्पदा एवं किराया सेवाएं | लॉट में स्थावर संपदा का विकास और उप-विभाजन | 9,851 | 2,449.34 | 12,386.49 | 19.77% |
| 37 | स्थावर सम्पदा एवं किराया सेवाएं | स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैर-आवासीय) वाली स्थावर संपदा का संचालन | 3,902 | 1,442.67 | 11,007.38 | 13.11% |

| क्र.सं. | क्षेत्र | उप-क्षेत्र | कंपनियां | कुल देय कर | पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0 | प्रभावी कर की दर |
|---------|--------------------------------|--|----------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 38 | स्थावर सम्पदा और किराया सेवाएं | पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना | 6,444 | 1,313.10 | 7,641.22 | 17.18% |
| 39 | स्थावर सम्पदा और किराया सेवाएं | शुल्क पर या संविदा के आधार पर स्थावर सम्पदा गतिविधियां | 6,509 | 534.59 | 2,571.00 | 20.79% |
| 40 | थोक एवं खुदरा व्यापार | थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और उपकरण | 3,978 | 2,249.79 | 9,018.58 | 24.95% |
| 41 | थोक एवं खुदरा व्यापार | मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री | 4,236 | 1,594.76 | 7,584.79 | 21.03% |
| 42 | थोक एवं खुदरा व्यापार | थोक में अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति | 3,299 | 1,109.82 | 4,283.87 | 25.91% |
| 43 | थोक एवं खुदरा व्यापार | अन्य | 1,87,265 | 35,455.53 | 1,49,062.52 | 23.79% |
| 44 | परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं | सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन | 4,540 | 1,368.08 | 5,954.12 | 22.98% |
| 45 | वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं | वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर | 344 | 75,190.50 | 3,58,995.76 | 20.94% |
| 46 | वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं | वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ | 2,264 | 13,349.60 | 81,510.67 | 16.38% |
| 47 | वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं | अन्य | 49,726 | 1,00,767.16 | 3,38,570.81 | 29.76% |
| 48 | कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं | सॉफ्टवेयर विकास | 27,627 | 60,556.70 | 2,43,374.08 | 24.88% |
| 49 | कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं | अन्य आईटी सक्षम सेवाएं | 27,614 | 18,018.97 | 69,211.38 | 26.03% |
| 50 | कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं | बीपीओ सेवाएं | 2,149 | 3,590.86 | 13,535.14 | 26.53% |
| 51 | कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं | कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थान | 20,807 | 5,530.97 | 18,576.89 | 29.77% |
| 52 | अनुसंधान एवं विकास | अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप एन.ई.सी. | 2,156 | 894.58 | 3,677.80 | 24.32% |
| 53 | पेशे | इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श | 5,289 | 1,908.80 | 6,077.03 | 31.41% |
| 54 | पेशे | व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियां | 8,471 | 1,547.39 | 5,854.72 | 26.43% |
| 55 | पेशे | विज्ञापन | 2,555 | 627.26 | 2,397.90 | 26.16% |
| 56 | पेशे | वास्तुकला व्यवसाय | 1,199 | 112.85 | 427.54 | 26.39% |

| क्र.सं. | क्षेत्र | उप-क्षेत्र | कंपनियां | कुल देय कर | पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0 | प्रभावी कर की दर |
|---------|--|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 57 | पेशे | अन्य | 23,548 | 1,746.01 | 6,419.39 | 27.20% |
| 58 | शिक्षा सेवाएं | प्राथमिक शिक्षा | 759 | 114.93 | 467.13 | 24.60% |
| 59 | स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं | स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल | 2,492 | 2,699.09 | 11,428.83 | 23.62% |
| 60 | स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं | निदान केंद्र | 2,019 | 437.61 | 1,862.92 | 23.49% |
| 61 | स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ | सामान्य अस्पताल | 3,178 | 666.00 | 2,672.32 | 24.92% |
| 62 | स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ | अन्य | 16,002 | 1,598.92 | 5,769.84 | 27.71% |
| 63 | संस्कृति और खेल | टेलीविजन चैनल प्रसारण | 468 | 1,330.03 | 4,961.30 | 26.81% |
| 64 | संस्कृति और खेल | अन्य | 6,826 | 1,337.01 | 5,555.82 | 24.06% |
| 65 | होटल, रेस्तरां और स्वागत सेवाएं | सभी क्षेत्र | 21,966 | 4,351.25 | 19,077.44 | 22.81% |
| 66 | परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं | अन्य | 19,618 | 7,885.44 | 40,249.25 | 19.59% |
| 67 | डाक और दूरसंचार सेवाएं | केबल ऑपरेटर के कार्यकलाप | 2,828 | 6,079.32 | 50,853.81 | 11.95% |
| 68 | अनुसंधान और विकास | सभी क्षेत्र | 314 | 36.73 | 142.64 | 25.75% |
| 69 | शिक्षा सेवाएं | सभी क्षेत्र | 15,109 | 1,430.30 | 5,425.28 | 26.36% |
| 70 | सामाजिक और सामुदायिक कार्य | सभी क्षेत्र | 5,296 | 58.90 | 170.87 | 34.47% |
| 71 | विद्युत, गैस और जल | जल संग्रहण, शोधन और वितरण | 1,798 | 412.79 | 3,172.50 | 13.01% |
| 72 | निर्माण | भवन संस्थापन | 50,078 | 9,173.30 | 42,866.17 | 21.40% |
| 73 | स्थावर संपदा और किराया सेवाएं | अन्य रियल स्टेट/रेंटिंग सेवाएं एन.ई.सी | 39,402 | 5,797.98 | 29,381.08 | 19.73% |
| 74 | मशीनरी किराए पर देना- कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर देना | भूमि परिवहन उपकरण किराए पर देना | 2,427 | 430.07 | 1,953.33 | 22.02% |
| 75 | अन्य सेवाएं | | 2,61,524 | 63,230.80 | 1,81,448.38 | 34.85% |
| 76 | कुल | | 10,75,866 | 7,46,010.44 | 32,10,198.19 | 23.24% |

*केवल लाभ कमाने वाली कंपनियों (अर्थात पीबीटी > 0) पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

वर्ष 2023-24 (अंतिम) और 2024-25 (अनुमानित) की अवधि के लिए सीमाशुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत माल पर सीमाशुल्क वसूला जाता है (इसे आम तौर पर मूल सीमाशुल्क - बीसीडी संदर्भित किया जाता है)। कतिपय मर्दों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्यात शुल्क भी वसूला जाता है।

2.1 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यक्तिगत टैरिफ की सीमा के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को आम तौर पर "टैरिफ दरें" कहा जाता है। इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियमों में टैरिफ दरों से कमतर सीमाशुल्क दरें अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया जाता है [सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत वसूले जाने वाले शुल्कों पर भी लागू किया गया है]। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई इन दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

(ii) बिना शर्त की छूट अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त की छूट अधिसूचनाओं में किसी माल के लिए सीमाशुल्क की सामान्य प्रभावी दरें निर्धारित की जाती हैं। ये दरें उक्त माल के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती हैं। अन्य शब्दों में, ऐसी बिना शर्त की छूट किसी सामान के लिए प्रभावतः एमएफएन दर निर्धारित करती हैं।

2.4 सशर्त छूट, दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च टैरिफ दर या एफएन दर की तुलना में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावी दरों को निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, रक्षा खरीद, आदि। ऐसे मामलों में, केवल ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने संबंधी आयात ही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होंगे। वस्तुतः, ऐसी छूटों के परिणामस्वरूप प्रासंगिक टैरिफ/ एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 **निर्यात योजनाओं के तहत सीमाशुल्क रहित आयात:** निर्यात सामानों में लगने वाले कच्चे माल और इनपुट की खरीद के लिए कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। वस्तुतः, ऐसी छूटें निर्यातों की शून्य रेटिंग के लिए निर्यातों पर कर को निष्प्रभावी करने मात्र का कार्य करती हैं। निर्यातों की शून्य रेटिंग पर लक्षित की जा रही ये छूटें प्रभावी रूप से, बीसीडी रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व का कारण नहीं बनती हैं।

2.6 **स्क्रिप्ट दर के माध्यम से प्रदान की गई निर्यात से जुड़ी छूटें या प्रोत्साहन :** निर्यातकों को छूट या प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कुछ योजनाएं हैं। निर्यात सामानों पर राज्यों और केंद्र के कुछ निहित करों या वसूलियों के बदले छूट दी जाती है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसी कुछ योजनाएं इस प्रकार की होती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, मुक्त रूप से व्यापार योग्य स्क्रिप्ट के रूप में ऋण अनुमत है। इस ऋण को आयातों पर मूल सीमाशुल्क (सीबीडी) के किसी भुगतान के लिए समाप्त किया जा सकता है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप्ट के उपयोग को वर्ष 2020-21 तक परित्यक्त राजस्व के रूप में माना गया था। तथापि, परिवर्तित लेखांकन प्रक्रिया में, वास्तविक प्रकृति पर विचार करते हुए स्क्रिप्ट के माध्यम से किए गए सीमाशुल्क भुगतान को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातक को इस प्रकार अनुमत किए गए सीमाशुल्क ऋण को व्यय के रूप में गिना जाता है। यह संशोधित पद्धति वर्ष 2021-22 से अपनाई गई है और वर्ष 2024-25 में भी यही पद्धति जारी है।

3. **एफटीए :** भारत ने कई देशों या देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते और समग्र आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं। समान रूप से, भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौता-। का भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस समझौते के तहत, भारत ने ऐसे समझौते के तहत शामिल किए गए विशिष्ट सामानों पर कमतर दर/छूट हेतु स्वयं को बाध्य कर लिया है। ये वरीय टैरिफ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। **सरकारी दायित्वों के भाग के रूप में प्रदान की गई ऐसी वरीय टैरिफ दरें, ऐसे समझौतों में शामिल आयातों के लिए लागू सामान्य दर भी होती हैं।**

4. इसलिए, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार, चूंकि बिना शर्त की छूटें और सरकारी दायित्वों के तहत प्रदत्त छूटें संबंधित माल के लिए प्रभावतः एमएफएन दर (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर छूटों के राजस्व प्रभाव के लिए अधिक उपयुक्त अनुमान मात्र सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व ही होगा।

5. वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए राजस्व प्रभाव मूल्यांकन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान आयातकों द्वारा विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में दायर की गई आगम पत्र (बिल्स ऑफ एंट्री) से किया जाता है। आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयातों के मामले में परित्यक्त राजस्व का बाह्यकलन करने के लिए अतिरिक्त प्रक्षेप किया जाता है। वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 (नवम्बर, 2024 तक) की अवधि के लिए कुल आयातों का 95% आईसीईएस के माध्यम से किया गया।

6.1 ऊपर दी गई कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2023-24 (अंतिम) तथा 2024-25 (अनुमानित) के लिए सीमाशुल्क पक्ष पर कर छूटों का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:

तालिका I : मूल सीमाशुल्क संबंधी कर छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | सूत्र | राजस्व प्रभाव (2023-24) | राजस्व प्रभाव (2024-25) (अनुमानित) |
|-------------------|--|---------------|----------------------------|--|
| क. | ईडीआई डाटा के अनुसार टैरिफ दर विभिन्न दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण से कम | क.1+क.2+क.3 | 3,55,204 | 4,10,792 |
| के कारण :- | | | | |
| क.1 | ईडीआई डाटा के अनुसार बिना किसी शर्त/ तकनीकी बीसीडी छूटें | - | 2,30,610 | 2,67,432 |
| क.2 | ईडीआई डाटा के अनुसार एफटीए/पीटीए/ सीईपीए/ सीईपीए (तालिका II देखें) | - | 89,205 | 94,172 |
| क.3 | सशर्त बीसीडी छूटें- ईडीआई अवस्थान (तालिका III देखें) | - | 35,389 | 49,188 |
| ख. | सशर्त बीसीडी छूटों का परित्यक्त राजस्व (ईडीआई + गैर-ईडीआई अवस्थान) | (क.3)x100/च # | 37,252 | 51,777 |
| ग. | इनपुट कर निष्प्रभावीकरण योजना के कारण राजस्व प्रभाव (संदर्भ तालिका IV) | - | 96,325 | 63,093 |
| घ. | निवल परित्यक्त सीमाशुल्क (सीमाशुल्क टैरिफ छूटों के कारण) | - | 37,252 | 51,777 |

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी एवं मुख्य सीसीए

#च अतिरिक्त बाह्यकलन कारक हैं जो वर्ष 2023-24 (अंतिम) के लिए 95 प्रतिशत के समान तथा वर्ष 2024-25 (अनुमानित) के लिए इन्हें आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयातों को शामिल करने के लिए बनाया गया है।

6.2 ईडीआई डाटा के अनुसार वर्ष 2023-24 (अंतिम) और 2024-25 (अनुमानित) के लिए एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईपीए के संबंध में राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर की तालिका I में क्र.सं. क.2 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है:

तालिका II: एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईपीए के संबंध में राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

| क्र.सं. | एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईपीए देश/क्षेत्र | राजस्व प्रभाव (2023-24) | राजस्व प्रभाव (2024-25)(अनुमानित) |
|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | एसईएन देशों से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण | 37,269 | 37,875 |
| 2 | जापान से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण | 10,312 | 12,038 |
| 3 | कोरिया से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण | 9,873 | 10,335 |
| 4. | एलडीसी से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण | 9,235 | 8,047 |
| 5. | बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं अफगानिस्तान से आयातों के लिए सीमा शुल्क की | 6,404 | 7,860 |

| क्र.सं. | एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र | राजस्व प्रभाव (2023-24) | राजस्व प्रभाव (2024-25)(अनुमानित) |
|---------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | रियायती दर के कारण | | |
| 6. | आस्ट्रेलिया से आयातित विशेष माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी) | 6,416 | 5,234 |
| 7. | यूई(सीईपीए) से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 1 सई 2022 से प्रभावी) | 1,847 | 4,841 |
| 8. | मलेशिया से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण | 1,189 | 1,261 |
| 9. | अन्य | 6,660 | 6,681 |
| | कुल | 89,205 | 94,172 |

स्रोत: डीजी (प्रणा), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2023-24 (अंतिम) और 2024-25 (अनुमानित) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. क.3 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका III: सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव (ईडीआई)

(रुपए करोड़ में)

| क्र.सं. | शीर्ष | राजस्व प्रभाव (2023-24) | राजस्व प्रभाव (2024-25) (अनुमानित) |
|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयुक्त विशिष्ट माल को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 57/2017-सीमाशुल्क) | 3,418 | 5,058 |
| 2 | आईटीए बाउंड माल के विनिर्माण को बीसीडी छूटे के कारण (अधिसूचना सं 24/2005-सीमाशुल्क और 25/2005-सीमाशुल्क) | 743 | 850 |
| 3 | खनिज ईंधनों/खनिज तेल आदि पर बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं 52/2017-सीमाशुल्क) | 245 | 263 |
| 4 | सार्वजनिक वित्तपोषण या सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरणों को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 51/1996-सीमाशुल्क) | 225 | 208 |
| 5 | अन्य मदों के लिए दी गई छूट और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों के कारण (क्र.सं. 1 से 4 तक में उल्लिखित के अलावा) | 30,758 | 42,809 |
| | कुल (ईडीआई) | 35,389 | 49,188 |
| | कुल (ईडीआई + गैर ईडीआई) | 37,252 | 51,777 |

स्रोत: डीजी (प्रणा), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2023-24 (अंतिम) और 2024-25 (अनुमानित) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. ग का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका IV: आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | राजस्व प्रभाव (2023-24) | राजस्व प्रभाव (2024-25) (अनुमानित) |
|---------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | उन्नत प्राधिकरण योजना | 25,119 | 21,407 |
| 2 | ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी | 7,443 | 8,711 |
| 3 | ईपीसीजी | 5,257 | 5,937 |
| 4 | एसईजेड | 57,345 | 25,577 |
| 5 | शुल्क रहित आयात प्राधिकरण योजना | 1,161 | 1,461 |
| | कुल | 96,325 | 63,093 |

स्रोत: डीजी (प्रणा), सीबीआईसी

@वाणिज्य विभाग द्वारा सीईजेड के लिए प्राप्त डाटा।